सप्तदश बिहार विधान सभा

षष्टम् सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-29.06.2022 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री अरूण शंकर प्रसाद, स०वि०स० श्री बीरेन्द्र सिंह, स०वि०स०	"राज्य के सभी प्रखण्ड संसाधन केन्द्र के लिए BRP चयन मार्गदर्शिका 2017 के अनुसार प्रखण्ड साधन सेवी (BRP) के पदों पर चयन अधिकतम तीन वर्षों के लिए करने का प्रावधान है, जबकि विभिन्न प्रखण्डों में पाँच वर्षों से अधिक समय से प्रखण्ड साधन सेवी (BRP) अपने पदों पर कार्यरत हैं । अधिक समय तक अपने पदों पर रहने के कारण BRP एवं विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा शिक्षकों का आर्थिक शोषण हो रहा है । सरकार द्वारा प्रखण्ड साधन सेवी के उपयोगिता पर उपयुक्त अनुशंसा देने हेतु विभागीय आदेश संख्या- 4820, दिनांक-03.08.2021 के द्वारा उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है, परन्तु गठित उच्चस्तरीय समिति द्वारा अभी तक अनुशंसा नहीं किये जाने के कारण वर्षों से वे अपने पद पर बने हुए हैं, जिससे राज्य के शिक्षा व्यवस्था पर विपरीत असर पड़ रहा है । अत: समिति की अनुशंसा आने तक वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए प्रखण्ड साधन सेवी को अपने मूल विद्यालय में वापस करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	शिक्षा

2. श्री निरंजन कुमार मेहता, स०वि०स० श्री राज कुमार सिंह, स०वि०स० श्री राजीव कुमार सिंह, स०वि०स० श्री दिलीप राय, स०वि०स० श्री दामोदर रावत, स०वि०स०	" बिहार राज्य भर में ऐसा देखा जा रहा है कि सुदूर देहाती क्षेत्रों में गरीब, खासकर अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने पर उसके दाह-संस्कार की कोई व्यवस्था नहीं होने से मृतक के शव को जहाँ-तहाँ खुले नदी में फेंक दिया जाता है साथ ही पूर्व में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास निधि योजना से छोटे-छोटे पुल या कल्भर्ट निर्माण का प्रावधान था, जिसे अब बन्द कर दिया गया है, जिससे आम जनता को सुलभ आवागमन में काफी असुविधा हो रही है । अत: देहाती क्षेत्रों में पंचायतवार सरकारी जमीन चिन्हित कर मुक्ति धाम एवं छोटे-छोटे पुल-पुलिया कल्भर्ट निर्माण हेतु मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास निधि योजना से माननीय विधायकों को अनुशंसित करने का अधिकार देने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	योजना एवं विकास

पवन कुमार पाण्डेय
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-25/2022- 2978 / वि०स०, पटना, दिनांक- 28 जून, 2022 ई० ।

प्रति:- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

28-6-2022
(विमलेन्दु भूषण कुमार)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-25/2022- 2978 / वि०स०, पटना, दिनांक- 28 जून, 2022 ई० ।

प्रति:- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्रिगण के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमश: माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रिगण एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

28.6.2022
(विमलेन्दु भूषण कुमार)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-25/2022- 2978 / वि०स०, पटना, दिनांक- 28 जून, 2022 ई० ।

प्रति:- मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / शिक्षा विभाग तथा योजना एवं विकास विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

28.6.2022

(विमलेन्दु भूषण कुमार)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-25/2022- 2978 / वि०स०, पटना, दिनांक- 28 जून, 2022 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रभारी सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

28.6.2022

(विमलेन्दु भूषण कुमार)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

28/6/22